

फॉर्म संख्या XXVII [नियम 260(3) देखें]
निर्माण श्रमिक के रोजगार के संबंध में मालिक/ठेकेदार/अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

भाग A: यह श्रमिक द्वारा भरा जाना है

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी गाँव/मकान संख्या (स्थानीय पता)
..... डाकघर/वार्ड संख्या
तहसील/नगर जिला आधार संख्या
यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं किसी अन्य बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ और पिछले बारह महीनों में पंजाब राज्य में कम से कम 90 दिनों तक एक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर चुका/चुकी हूँ।

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

आवेदक का मोबाइल नंबर:

भाग B: यह मालिक/ठेकेदार द्वारा भरा जाना है

1	2	3	4	5	6
प्रारंभ तिथि (dd/mm/yyyy) (आवेदन तिथि से पिछले 1 वर्ष में)	समाप्त तिथि (dd/mm/yyyy) (आवेदन तिथि से पिछले 1 वर्ष में)	कार्य दिनों की संख्या (कम से कम कुल 90 दिन)	निर्माण कार्य का प्रकार (कृपया इस पृष्ठ के पीछे दी गई सूची A से विकल्प चुनें)	निर्माण स्थल का विवरण (जिसमें मालिक/ठेकेदार का नाम, मोबाइल नंबर और निर्माण स्थल का पता शामिल हो)	मालिक/ठेकेदार के हस्ताक्षर
				नाम: मोबाइल नंबर: निर्माण स्थल का पता:	
				नाम: मोबाइल नंबर: निर्माण स्थल का पता:	
				नाम: मोबाइल नंबर: निर्माण स्थल का पता:	
				नाम: मोबाइल नंबर: निर्माण स्थल का पता:	
				नाम: मोबाइल नंबर: निर्माण स्थल का पता:	

भाग C: अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

(यदि श्रमिक भाग B में मालिक/ठेकेदार के हस्ताक्षर प्राप्त करने में असमर्थ है, तो बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी इस फॉर्म को प्रमाणित कर सकते हैं। इस स्थिति में, भाग B में मालिक/ठेकेदार का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा। बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी की जानकारी के लिए इस पृष्ठ के पीछे सूची B देखें।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रमिक द्वारा दी गई जानकारी सही है। रिमाक्स (यदि है तो)

बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी का नाम:

मोबाइल नंबर:

हस्ताक्षर एवं मोहर:

तारीख:

*** सभी क्षेत्रों में मोबाइल नंबर अनिवार्य है।**

सूची A: निर्माण कार्य का प्रकार (उपरोक्त कॉलम 4 के लिए)	सूची B: बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्राधिकारी (उपरोक्त भाग C के लिए)
<ul style="list-style-type: none"> • वेल्डिंग कार्य • बढई का काम • कुआं खोदना • रोलर चलाना • छत का काम • राजमिस्त्री का काम (जैसे ईट बिछाना) • प्लंबिंग • लोहार का काम • मोजेक पॉलिशिंग • सड़क निर्माण • मिक्सर चलाना • पेंटिंग • विद्युत कार्य • हथौड़े से काम करना • सुरंग निर्माण • टाइलिंग कार्य • कुएं की सफाई / गोताखोरी • पत्थर तोड़ना या खदान कार्य • स्प्रे कार्य या मिक्सिंग (सड़क निर्माण से संबंधित) • मिट्टी की खोदाई के काम • पत्थर काटना, तोड़ना और पीसना • बांध, पुल, या किसी संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण • बाढ़ प्रबंधन और संबंधित कार्य • ठंडी और गर्म मशीनरी की स्थापना और मरम्मत • फायरफाइटिंग सिस्टम की स्थापना और मरम्मत • बड़ी यांत्रिक परियोजनाएं, जिनमें मशीनरी और पुल निर्माण शामिल हैं • घरों/भवनों का आंतरिक काम • ग्रिल्स, दरवाजे आदि का निर्माण और स्थापना • मॉड्यूलर किचन इकाइयों की स्थापना • सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण • ईट भट्टों में ईट बनाना • मिट्टी, रेत, और बजरी का खनन • सुरक्षा गेट और अन्य उपकरणों की स्थापना • लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना • निर्माण सामग्री ढोना • मार्बल और पत्थर का काम • निर्माण के लिए चूना बनाना • निर्माण स्थल पर सहायक / अन्य श्रमिक कार्य 	<ul style="list-style-type: none"> • सरपंच • नगरपालिका पार्षद (MC) • लंबरदार • विधानसभा सदस्य (MLA) • बोर्ड के सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य • लोक निर्माण विभाग • आवास और शहरी विकास विभाग • पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पंजाब • पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन • पंजाब जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग • सभी स्थानीय सरकारी विभाग • जूनियर इंजीनियर, उप-मंडल अधिकारी (SDO), स्थानीय सरकारी विभागों के निगमों के सहायक/उप/संयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त

किसी भी प्रकार की समस्या या फॉर्म भरने में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करें।